न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(11)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4710/2018/होश./भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 05.04.2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 325/अपील/17-18.

शिवरतन सिंह वल्द नन्हेवीर पटेल
निवासी कोठी बाजार होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

राममोहन शुक्ला वल्द सीताराम शुक्ला
निवासी ग्राम रायपुर, तह. व जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री प्रकाश दुबे, अभिभाषक, आवेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक श्री शिवरतन सिंह आ. नन्हेवीर पटेल निवासी कोठी बाजार, होशंगाबाद द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख होशंगाबाद द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक 06.06.2011 के तहत अनावेदक राममोहन शुक्ला की भूमि ग्राम रायपुर खसरा क्रमांक 528/3 रकबा 0.42 डिसमिल की नपती की जानी थी, परंतु अनावेदक की भूमि का सीमांकन न कर आवेदक की भूमि नाप दी गई, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, होशंगाबाद के

समक्ष संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 04/बी-121/14-15 दर्ज कर आदेश दिनांक 20.04.2016 से आवेदक की स्वमेव निगरानी याचिका स्वीकार कर अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 06.06.2011 प्रतिवेदन दिनांक 22.06.2011 एवं तत्संबंध में की जा रही बटांकन कार्यवाही दिनांक 28.11.2014 निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा दिनांक 16.03.2018 को आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के साथ विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। आयुक्त द्वारा दिनांक 05.04.2018 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध 2 वर्ष पश्चात् दिनांक 16.03.2018 को अपील पेश की गई, जो कि आायुक्त द्वारा आवेदक के पीठ पीछे ग्राह्यता पर स्वीकार की गई, के संबंध में सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम की सूचना आवेदक को दी जाना थी और उभय पक्ष को सुनवाई पश्चात् अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन का निराकरण किया जाना था, इस प्रकार आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए आदेश पारित किया है, जो निरस्त किया जावे, क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि म्याद अधिनियम के आवेदन पर विपक्षी सामने वाली पार्टी को सुना जाना आवश्यक है।

(2) अनावेदक द्वारा 2 वर्ष पश्चात् अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रतिदिन का कोई विवरण व युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया। अनावेदक द्वारा आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन की कंडिका-3 में कि किस आधार पर कैसे किस स्त्रोत से जानकारी प्राप्त हुई, कोई कारण नहीं बतलाया और जब जानकारी का कोई स्त्रोत ही नहीं बताया तो उस स्थिति में धारा 5 का आवेदन स्वीकार ही नहीं करना था।

(3) आयुक्त द्वारा 2 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील को बगैर किसी पर्याप्त युक्तियुक्त कारण के अनावेदक द्वारा नहीं बताया जाने के बावजूद आवेदक के पीठ पीछे उसे नोटिस दिये बगैर सुनवाई किये बगैर आवेदन स्वीकार किया है, जो कि आवेदक के न्यायिक अधिकारों पर कुठाराघात किया

है। न्यायिक आदेश नहीं है, जो निरस्त किया जावे। परोक्ष रूप से अनावेदक को लाभ पहुंचाने की नियत से आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है। इसके अलावा अपील को ग्राह्य करने का जो आदेश दिया है, वह भी उचित नहीं है। ग्राह्य किये जाने का किस बिंदु, किस आधार पर ग्राह्य की गई है, आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए भी आदेश निरस्त किया जावे।

(4) आयुक्त को सर्वप्रथम ही 2 वर्ष पश्चात् विलंब से अनावेदक द्वारा जो अपील पेशी की गई थी, जिसमें विलंब का कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया है, को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील समयसीमा से बाधित मानते हुए निरस्त की जानी चाहिए थी, ऐसा न कर अपील ग्राह्य योग्य मानकर समयसीमा के अंदर मानकर विधिक प्रक्रिया न अपनाते हुए आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित होगा।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध 2 वर्ष पश्चात् दिनांक 16.03.2018 को अपील पेश की गई है, जिसे आयुक्त द्वारा 2 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील को बगैर किसी पर्याप्त युक्तियुक्त कारण के अनावेदक द्वारा नहीं बताया जाने के बावजूद आवेदक के पीठ पीछे उसे नोटिस दिये बगैर सुनवाई किये बगैर आवेदन स्वीकार किया है। आयुक्त ने अवधि विधान की धारा 5 पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया है। आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण आयुक्त की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए सकारण बोलता हुए आदेश में समयसीमा के बिंदु का निराकरण करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2018 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण आयुक्त, होशंगाबाद की ओर पुनः बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर